महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक–एफ–1–144/राजस्व/राहत/2016/1031 नया, रायपुर दिनांक 3 सितम्बर, 2016

प्रति,

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः वर्ष 2015–16 में प्रदेश के सूखा प्रभावित किसानों को फसल हानि के वितरित आर्थिक सहायता अनुदान राशि के कृषकवार सूची को विभाग के वेबसाईट में प्रदर्शन करने बाबत।

–0–

वर्ष 2015–16 में सूखे के कारण प्रदेश के कई जिलों में गंभीर रूप से फसल हानि हुई थी, जिसके कारण सूखे को प्राकृतिक आपदा के रूप में सम्मिलित कर प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के तहत फसल हानि के लिये नियमानुसार आर्थिक सहायता अनुदान वितरित करने का निर्णय लिया गया था । शासन के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से आबंटन प्राप्त कर फसल हानि से प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के तहत आर्थिक सहायता वितरित किया गया था ।

2. भारत सरकार के द्वारा यह निर्देश दिये गये है, कि राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) तथा राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के तहत फसल हानि से प्रभावित किसानों की सूची को पारदर्शिता की दृष्टि से राज्य के वेबसाईट में आमजनता के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ अपलोड किया जाये ।

3. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के परिपालन में फसल हानि से प्रभावित तथा आर्थिक सहायता अनुदान वितरित किसानों की सूची को राजस्व विभाग के वेबसाईट में अपलोड करने के लिये राजस्व विभाग के द्वारा साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जो कि विभाग के वेबसाईट **cg.revenue@nic.in** में **"RBC 6-4"** नाम से उपलब्ध है । उक्त जानकारी को अपलोड करने के लिये भारत सरकार के द्वारा जो प्रपत्र भेजा गया है, वह केवल सूखा प्रभावित किसानों को अनुदान सहायता वितरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जबकि प्रदेश में विभाग के द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के तहत फसल हानि के अलावा भी कई अन्य हानियों के लिये आर्थिक सहायता दिया जाता है, अतः साफ्टवेयर में फसल हानि के अलावा भी अन्य हानि का डाटा एन्ट्री करने के लिये स्थान रखा गया है ।

4. सूखा प्रभावित किसानों की सूची को उक्त साफ्टवेयर में डाटा एन्ट्री किया जाना है । सूखा प्रभावित किसानों के अनुदान वितरण हेतु ग्रामवार सर्वेक्षण कना, ग्रामवार प्रकरण दर्ज करना, अनुदान स्वीकृति तथा अनुदान वितरण का कार्य तहसीलदार तथा अनुविभाग स्तर पर

किया जाता है । अतः गत वर्ष 2015–16 में तहसीलदार के स्तर पर प्रत्येक ग्राम के लिये एक प्रकरण तैयार किया गया है । इस तरह प्रत्येक ग्राम में जिन किसानों को फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता वितरित की गई है, उनकी सूची तहसीलदार स्तर पर प्रकरणवार उपलब्ध है । प्रकरणवार उक्त सूची के डाटा को ही एन्ट्री किया जाना है । अन्य मदों में हुई क्षति, जैसे मकान हानि, जनहानि, पशु हानि आदि के लिये भी वितरित सहायता की जानाकरी का डाटा एन्ट्री किया जाना है । इस कार्य को एक माह के भीतर पूर्ण करना है ।

5. इस कार्य को निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूर्ण करने के लिये पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की डयूटी लगाई जावे तथा तहसीलवार अलग–अलग अधिकारियों का दायित्व निर्धारित की जावे। आवश्यकतानुसार डाटा एन्ट्री करने के लिये दैनिक वेतन पर भी डाटा एन्ट्री आपरेटर की व्यवस्था की जावे । दैनिक वेतन पर रखे जाने वाले डाटा एन्ट्री आपरेटर के मजदूरी भुगतान हेतु आपको मांग अनुसार पृथक से राशि उपलब्ध कराई जायेगी ।

6. अतः यह निर्देशित किया जाता है, कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्य एक माह के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें । सभी संभागीय आयुक्त कृपया उक्त कार्य अपने संभाग में समय–सीमा में किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

(के.आर.पिस्दा) 3/9/2016
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक–एफ–1–146/राजस्व/राहत/2016/1032 नया, रायपुर दिनांक 3 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपिः

1. श्री राघवेन्द्र सिंह, अपर सचिव, भारत शासन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 38–19/2016– DM दिनांक 22 जून, 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. सचिव, छ.ग.शासन, कृषि एवं सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 11366/एफ–03/61/विविध/2015/14–2 दिनांक 22.07.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन 3/9/2016
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग